

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, कोटा:-0744-2325871

**मूल वाद में फाइनल डिक्री**

(आदेश 20 नियम 6 और 7 )

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा (राज.)

नानारायण आत्मज श्री पांचूलाल जी बनाम 1.दीनदयाल आत्मज श्री ईश्वरलाल जी जाति माली निवासी  
ते माली निवासी ग्राम राजनगर ग्राम राजनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा  
इसील लाडपुरा जिला कोटा 2.सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा।

-वादी

-प्रतिवादीगण

**--: वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955:--**

मुकद्मा नं. 139/2013 (दावा)

वाद में आज तारीख को डिक्रीदार के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार ग्राम राजनगर प0हल्का नयानोहरा की आराजी ख0न0 329 रकबा 0.09 है0, ख0न0 331 रकबा 0.40 है0, ख0न0 332 रकबा 0.03 है0, ख0न0 333 रकबा 0.40 है0, कुला किता 4 कुल रकबा 0.92 है0 भूमि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्नानुसार फाईनल अर्थात् अन्तिम डिक्री जारी की जाकर भूमि विभाजित की जाती है-

नाम खातेदार	ख0 नं0	रकबा	दिशा
दीनदयाल पुत्र ईश्वरलाल जाति माली	331	0.205 है0	पूरब
लक्ष्मीनारायण पुत्र पांचूलाल जाति माली	329	0.09 है0	सम्पूर्ण पश्चिम सम्पूर्ण
	331/1	0.195 है0	
	333	0.40 है0	
	किता 3	0.685 है0	
1.दीनदयाल पुत्र ईश्वरलाल जाति माली हि0 1/2	332	0.03 है0	
2.लक्ष्मीनारायण पुत्र पांचूलाल जाति माली हि0 1/2			

वाद के खर्चे लेखे ... X ...रुपये की राशि, आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर... X ...प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित .... X .....द्वारा ..... X ....को दी जाए।

यह डिक्री आज तारीख 08 माह 05 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी  
कोटा

**वाद के खर्चे**

वादी	रुपये	प्रतिवादी	रुपये
1. वादपत्र के लिये स्टाम्प 2 शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिये स्टाम्प 4.....रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामील		शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प अर्जी के लिये स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	



उपखण्ड अधिकारी  
कोटा